<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 3534

15 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

इस्पात पीएसयू

3534. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसेः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में इस्पात क्षेत्र में काम करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इस्पात के कुल उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का योगदान कितना प्रतिशत है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इस्पात के आयात और निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(घ) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने लाभ का विशेष रूप से महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार किए गए व्यय का प्रतिशत ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने इस्पात पीएसयू द्वारा इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन दो इस्पात निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं यथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)। राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रका नाम	**इकाई का नाम**
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	
छत्तीसगढ़	भिलाई इस्पात संयंत्र
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र
	इस्को इस्पात संयंत्र, बर्नपुर
	अलॉय इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर
ओडिशा	राउरकेला इस्पात संयंत्र
झारखंड	बोकारो इस्पात संयंत्र
तमिलनाडु	सेलम इस्पात संयंत्र
कर्नाटक	विश्वेश्वरैया लोहा एवं इस्पात संयंत्र
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	
आरआईएनएल, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की निगमित इकाई आंध्रप्रदेश राज्य में स्थित है।	

(ख): सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों की देश के कुल कच्चा इस्पात उत्पादन में लगभग 20% की भागीदारी है।

(ग): वर्ष 2018-19 के दौरान सेल व आरआईएनएल द्वारा बिक्री योग्य इस्पात के आयात व निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(हजार टन में)

पीएसयू का नाम	**आयात**	**निर्यात**
सेल	शून्य	760
आरआईएनएल	शून्य	374

(घ): कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, इस्पात मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) गत तीन वित्त वर्षों के दौरान प्राप्त औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए निर्धारित रखते हैं। पिछले वर्ष का अव्ययित शेष, यदि कोई हो, तो उसे अगले वर्ष उस उद्देश्य के उपयोग के लिए आगे ले जाया जाता है जिसके लिए वह आवंटित किया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने चालू प्रतिबद्ध सीएसआर गतिविधियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए हानि वाले वर्षों में भी सीएसआर निधि आवंटित की। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन सीपीएसई द्वारा निधियाँ राज्यवार/संघ राज्य-क्षेत्रवार आवंटित नहीं की जाती।

(ङ): सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 अधिसूचित की है; इस नीति का उद्देश्य सरकारी खरीद में घरेलू विनिर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पादों (डीएमआई एंड एसपी) को प्राथमिकता देना है और सरकार ने जीवन चक्र लागत विश्लेषण के सिद्धांत को शामिल करने के लिए सामान्य वित्त अधिनियम के नियम 136 (1) (iii) को संशोधित किया है। इन हस्तक्षेपों से इस्पात की माँग बढ़ने में मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप देश की जरुरतों को पूरा करने के लिए इस्पात पीएसयू सहित इस्पात कंपनियों द्वारा अधिक इस्पात का उत्पादन किया जाएगा।

****